GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

Public Notice on draft Recruitment Rules for the post of **"Optometry Officer"** in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.

In compliance with DoPT's OM. No. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) dated 13.10.15, the draft Recruitment Rules for post of "**Optometry Officer"** in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi is annexed.

The stakeholders, interested in making any objections/comments or suggestions on the draft Recruitment Rules may do so in writing, within a period of 30 days from the date of publication of draft Recruitment Rules to Section Officer (MH-II), Room No.405A, Directorate General of Health Services, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110108 or at e-mail address: medicalhospital61@gmail.com.

(Ganesh Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele fax No. 23063481

(GANESH KUMAR)
अवर सचिव / Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2022

सा.का.नि. . . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ऑप्टोमेट्री अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ऑप्टोमेट्री अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ऑप्टोमेट्री अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ऑप्टोमेट्री अधिकारी	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (46700-151100 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उस की संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ ऑपटोमेट्रिस्ट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400 रुपये) श्रेणी में में दो वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी– 7. (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कि	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष ; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य ; 3. उपनिदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 4. उपनिदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा म	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

	ए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रुपए) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 6 (रु. 35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो: और 7. जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑप्टोमेट्री में स्नातक की डिग्री। ii. किसी सौ बिस्तरों वाली सरकारी या केन्द्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में ऑप्टोमेट्री कार्य में 2 वर्ष का अनुभव । बाहरी व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय वरिष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट पर भी विचार किया जाएगा जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 (रु. 35400-112400) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	हानिदेशालय - सदस्य ।	

[ए.11018/31/2019 –एमएच- II]

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार